(9)

न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार सदर मेदिनीनगर

दा0 ख0 अपील सं– XIV/16/16.17

मोइज अंसारी – अपीलार्थी

बनाम

मोबीन मियां – विपक्षी

आदेश

यह दा0 खा0 अपील वाद विद्वान अंचल अधिकारी पांकी द्वारा उतराधिकार नमांतरण वाद सं0–497/2015–16 में पारित नामांतरण आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अपील अंग्रीकृत करते हुए निम्न न्यायलय का मूल अभिलेख की मांग की गई। विपक्षी को सूचना निर्गत की गई।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सूना। विपक्षी द्वारा दाखिल रिजवाइंडर तथा लिखित बहस एवं अंचल से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया।

अपीलार्थी का दावा है कि ग्राम केल्हवा थाना पांकी का खाता नम्बर–26, 32, 44, 57 रकवा 26.32 एगड़ भूमि विगत सर्वे खतियान में रजूली मियां के नाम दर्ज था। रजूली मियां के तीन पुत्र आलीजान मियां साहबजान मियां एवं जान मोहम्मद मियां हुए। आलीजान मियां का अपने पीछे एक मात्र पुत्री सबीना बीबी को छोड़कर मृत्यु हो गई। मुस्लिम लॉ के अनुसार खाता नम्बर–26, 32, एवं 57 की भूमि में सबीना बीबी अपने पिता की संपति में आधा हिस्सा की हकदार है। सबीना बीबी की विपक्षी मोबिन मियां के साथ शादी हुई थी। सबीना बीबी से कोई संतान उत्पन्न नहीं होने के कारण मोबिन मियां ने शादी के तीन चार साल बाद तलाक दे दिया। सबीना बीबी अपने मायके केल्हवा चली आई और पिता के मकान में रहने लगी और पिता की सम्पति का उपभोग करने लगी। मोबिन मियां ने करामत मियां ग्राम–चोरहा की पुत्री से शादी कर ली। जिससे एक पुत्र एवं तीन पुत्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार सबीना बीबी से मोबिन मियां का कोई संबंध नहीं रहा। प्रश्नगत खाता में सबीना बीबी का दखल कब्जा पाते हुए दाखिल खारिज बाद संख्या–707/13–14 से रकवा–8.70 7/12 एकड़ भूमि का नामांतरण होकर जमाबंदी चलने लगी। तलाक होने के बाद सबीना बीबी ने अपीलार्थी जो उनकी भतीजा है को पुत्र के रूप में रख लिया और दिनांक 12.01.2015 को अपने हिस्से की संपूर्ण भूमि अपीलार्थी के रिश्तेदारों एवं पंचों के समक्ष बक्शीश कर दिया। उक्त बक्शीश के आधार पर विविध वाद संख्या 3/16–17

से अपीलार्थी के नाम से दिनांक 27.07.2016 को रकवा–8.70 7/12 एकड़ का दाखिल खारिज हुआ। अपीलार्थी जब कर्मचारी के पास दाखिल खारिज अनुपालन कराने गया तो कर्मचारी ने बताया कि प्रश्नगत भूमि का उतराधिकार नामांतरण वाद संख्या 497/15–16 से विपक्षी मोबिन मियां के नाम से दाखिल खारिज हो चुका है। अपीलार्थी ने अंचल कार्यालय में नकल के लिए अवेदन दिया, किंतु अंचल अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को नकल नहीं दिया गया। लाचार होकर अपीलार्थी ने नकल का दरखास्त की छायाप्रति संलग्न करते हुए अपील दायर किया है। अपीलार्थी का दावा है कि अंचल अधिकारी द्वारा इस पर बिना विचार किए हुए आदेश पारित किया गया है कि ये विपक्षी का सबिना बीबी को तलाक देने के बाद कोई सम्बन्ध नहीं रहा और उसके नाम के भूमि से विपक्षी को कोई हक नहीं बनता है। अंचल अधिकारी द्वारा बिना स्वयं जांच किए बिना उचित ढंग से इस्तहार कराये ही विपक्षी के नाम से उतराधिकारी दाखिल खारिज आदेश पारित किया है जो अवैध एवं निरस्त किए जाने योग्य है।

विपक्षी का दावा है कि प्रश्नगत भूमि विपक्षी की पत्नी सबीना बीबी का है जिसकी जमाबंदी भी सबीना बीबी के नाम से चल रही है। पत्नी सबीना बीबी की मृत्यु के बाद प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का दखल कब्जा चला आ रहा है। सबीना बीबी को कोई संतान नहीं है, इसलिए प्रश्नागत भूमि का उतराधिकार विपक्षी ही है। विपक्षी का दावा है कि अपीलार्थी का दावा कि दिनांक 12.01.15 को सबीना बीबी ने अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि बक्शीश कर दिया है गलत है। क्योंकि सबीना बीबी की मृत्यु दिनांक 07.01.15 को हो गई थी तो दिनांक 12.01.15 को कैसे बक्शीश किया। इसका मतलब है कि अपीलार्थी ने जाली बक्शीशनामा के आधार पर अपीलार्थी ने विविद वाद संख्या 3/16–17 से अपने नाम नामांतरण तो करा लिया था, परंतु अंचल अधिकारी को ज्यों ही पता चला उस आदेश को तुरंत स्थगित कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने संक्षम न्ययालय में कोई अपील दायर नहीं किया। जो अब अंतिम है। अपीलार्थी को यदि बक्शीशनामा में प्रश्नगत भूमि मिली है तो उसे व्यवहार न्यायलय में प्रोवेट के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। विपक्षी का दावा है कि अपीलार्थी का प्र नगत भूमि से कोई सरोकार नहीं है और न अपीलार्थी का कभी दखल कब्जा ही रहा है। विपक्षी ने आगे दावा दिया है कि पत्नी सबीना बीबी की मृत्यु के बाद विपक्षी भूमि के दखल कब्जा में आया और उतराधिकारी नामांतरण के लिए आवेदन दिया जिस के आधार पर उतराधिकारी नामांतरण वाद संख्या 497/15–16 संधारित हुआ। जाचोंपरात पाया गया कि सबीना बीबी के नाम से दाखिल खारिज वाद संख्या 707/13–14 से दाखिल खारिज होकर जमाबंदी चल रही है तथा प्रश्नगत भूमि पर सबीना के मरणोपरांत

विपक्षी का दखल कब्जा है। अंचल अधिकारी द्वारा आपत्ति आमंत्रित करते हुए आम इश्तेहार प्रकाशित कराया गया। किसी ने आपत्ति नहीं दिया। तत्पश्चात विपक्षी का दखल कब्जा एवं सबीना बीबी की जमाबंदी का सत्यापन करने के बाद हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी के नाम से दाखिल खारिज आदेश पारित किया गया जो नियमानुकूल है। जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अपीलार्थी का आवेदन निराधार है जो खारिज के योग्य है।

अपीलार्थी ने अपने दावा के समर्थन में कोई साक्ष्य/कागजात प्रस्तुत नहीं किया है। निम्न न्यायलय का मूल अभिलेख एवं अभिलेख के साथ सलंग्न हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी सबीना बीबी के नाम से चल रही है तथा सबीना बीबी के मृत्यु के बाद विपक्षी जो उसका पति है का भूमि पर दखल कब्जा है। प्रश्नगत भूमि को भूदान, भू–हकबंदी, बंद सीमा, वासगित एवं सी० एन० टी० एक्ट से बाहर का होना प्रतिवेदित है। आम इश्तेहार का प्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। दाखिल खरिज के लिए जमाबंदी एवं दखल कब्जा ही महत्वपूर्ण बिंदू है जो इस वाद में पाया गया है। स्पष्ट है विपक्षी के नाम से पारित दाखिल खारिज आदेश नियमानुकुल है जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में अंचल अधिकारी पांकी द्वारा उतराधिकार दाखिल खारिज वाद संख्या–497/15–16 में दिनांक 6.3.16 को पारित आदेश बहाल रखा जाता है। अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

06.10.17

उप समाहर्ता भू० सु०

सदर मेदिनीनगर

06.10.17

उप समाहर्ता भू० सु०

सदर मेदिनीनगर

ज्ञापांक 545
दिनांक 13.10.17
प्रतिलिपि–
अंचल अधिकारी
पांकी को
सूचनार्थ एवं
दा० खा० वाद
सं० 497/15-16
मूल अभिलेख
संलग्न कर
भेजा जा
रहा है।

13.10.17
D. C. L. R.
Sadar, Medininagar
13/10/17

Digitally signed by Pyare Lal
Date: 2024.07.22 07:16:57 -07:00
Location: 192.168.54.181